

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 299/2023

वाद पत्र अं. धारा 53/88 आर.टी.ए.

इन्द्रजीत पुत्र गोपीराम जाति बिश्नोई सा.संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।


वादी

बनाम

1. प्रदीप कुमार पत्रु बलवन्तराम जाति नाई सा.संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. सरस्वती देवी पत्नी वेदप्रकाश जाति कुम्हार सा.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 12.6.2023



राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इन्फिसाल  
हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्ध वकील वादी मिन जाकिन मुदई श्री ..... वकील  
प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से  
प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

नाम काशतकार व्य वल्लियत एवं सुकुनात	चक का नाम खातों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार काशतकार का नाम	कब्जा काशत अनुसार रकबा
इन्द्रजीत पुत्र गोपीराम 0.506 जाति बिश्नोई निवासी संगरिया 2 प्रदीप कुमार पुत्र बलवन्तराम 0. 1915 हि. जाति नाई निवासी संगरिया 3 सरस्वती देवी पत्नी वेदप्रकाश 09975 हि. जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी संगरिया खातेदार	प.मं. संगरिया के चक 3 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 37/30 खाते का योग 1.993 हेक्. (विवादित श्रेणी का है)	सरस्वती देवी पत्नी वेदप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी संगरिया खातेदार	प.न. 179/173 मु.न. 43 का कि.न. 4/1/0.126, 4/4/0.012 गै.मु. रास्ता, 5/2/0.076, 5/6/0.008 गै.मु. रास्ता, 7/0.253, प.न. 180/173 मु.न. 44 का कि.न. 1/1/0.228, 1/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 2/1/0.228, 2/2/0.025 गै.मु. रास्ता, कुल-0.981 हेक्.
		इन्द्रजीत पुत्र गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी संगरिया	प.न. 180/173 मु.न. 44 का कि.न. 3/1/0.228, 3/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 4/1/0.228, 4/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 5/1/0.2135 मिन. 5/2/0.025 गै.मु. रास्ता कुल-0.7445 हेक्.
		प्रदीप कुमार पुत्र बलवन्तराम जाति नाई निवासी संगरिया	प.न. 180/173 मु.न. 44 का कि.न. 5/1/0.0145, प.न. 181/173 मु.न. 45 का कि.न. 1/0.253 कुल-0.2675 हेक्.

महायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/1708 दिनांक 19.05.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। प्रश्नगत भूमि रहन मुक्त होने

का ही नामान्तकरण दर्ज किया जावे।

यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

मुब्लिक.....बाबत 100/- खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12.6.2025 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं  
उपसहायक अतिरिक्त,  
संगरिया